न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

GCMS NO :— 2025 / 11
अपील संख्या :— 07 / 2025
दायर दिनांक :— 24—01—2025
निर्णय दिनांक :— 30 —01—2026

अनवान

1— श्री मोहनसिंह पिता डुंगरसिह जाति राजपूत निवासी प्रेमपुरा, ग्राम पंचायत पिपली अहीरान तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द

निगराकार

बनाम

1— श्री प्रकाशचंद्र पिता भुरालाल जाति पुर्बिया निवासी प्रेमपुरा, ग्राम पंचायत पिपली अहीरान तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द

2— श्री ग्राम पंचायत पिपली अहीरान जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत पिपली अहीरान, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

गैरनिगराकार

अपील विरूद्व ग्राम पंचायत पिपली अहीरान पट्टा सख्या 3132 दिनांक 26.09.2023

उपस्थित :—

1—श्री लक्ष्मण लाल शर्मा, अधिवक्ता निगराकार
2--श्री मनीष जोशी गैर निगराकार 01
3—श्री अनिल बागोरा गैर निगराकार 02

—: निर्णय :—

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि ग्राम पंचायत पिपली अहीरान के ग्राम प्रेमपुरा में गैरनिगराकर संख्या 02 के द्वारा कोरम बैठक का आयोजन कर दिनांक 26.09.2023 के प्रस्ताव अनुसार विपक्षी संख्या 01 के नाम नियम 158 के अधिन तथाकथित पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा गलत रूप से जारी किया गया। तथा विपक्षी संख्या 01 के स्वयं का मकान आबादी भूमि में स्थित होने के बावजूद निःशुल्क पट्टा जारी किया है, जो निरस्त योग्य है,ग्राम पंचायत पिपली अहीरान ने विपक्षी के नाम जारी तथाकथित पट्टा कानुनन अवैध तरीके से जारी किया है। तथा पत्रावली आपत्तिया आह्वान पत्र मयाद 01 माह की होने के बावजूद भी 07 दिवस की आपत्तियां आह्वान पत्र देना बताया गया। जबकि वह भी सार्वजनिक जगह पर विधि अनुसार सूचित एंव चस्पा नही किया और नियम 158 (2) के

अनुसार ऐसे निःशुल्क पट्टे केवल चयनित परिवार घुमक्कड ,भेडपालक, जिनके पास स्वंय का ग्रहस्थल/मकान नही है उन्ही को निःशुल्क पट्टे जारी किया जा सकता है जबकि विपक्षी संख्या 01 के पास स्वंय का मकान एंव आर्थिक रूप से समृद्व व्यक्ति होकर विपक्षीगण ने मिलिभगत कर पंचायत राज अधिनियम 1996 की पालना नही करने से तथाकथित पट्टा काबिल खारिज है। तथाकथित पट्टा की पत्रावली में आपत्ति आह्वान एक माह का नही होने तथा आपत्ति आह्वान चस्पा के प्रणाम स्वरूप दो मौतबिरानों कें हस्ताक्षर होना आवश्यक होते हुऐ भी मौतबिरानों कें हस्ताक्षर नही होने एंव तथाकथित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर दिनांक एंव समय ही नही होने से स्थल निरीक्षण ही नही होने से और अन्य सभी पट्टो पर एक ही प्रकार के हस्ताक्षर वार्ड पंचो के होने व स्थानीय वार्ड पंचो को जानकारी नही होने से उक्त तथाकथित पट्टा काबिल खारिज है। ग्राम प्रेमपुरा के खसरा संख्या 485/311 का ग्राम प्रेमपुरा के निवासीयों की रोडिया एंव बाडे बने हुऐ थे। उनको ग्राम पंचायत द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि "आपको नियमानुसार पट्टे दिए जायेगे" तथा शेष भूमि पर ग्राम सामुदयिक भवन निर्माण कराया जायेगा। ग्राम प्रेमपुरा के काबिज लोगो को पट्टा नही देने एंव एंव बिना कब्जे के आधार पर तथाकथित पट्टा निःशुल्क अवैध रूप से जारी करने से काबिल खारिज होकर उक्त पट्टो को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

उक्त तथाकथित पट्टे की पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा जांच करवायी गई कि जांच में ग्राम पंचायत पिपली अहीरान द्वारा जारी पट्टा गलत माना और पंचायत राज अधिनियम 1996 की पालना नही करना पाया। प्रार्थी ग्राम प्रेमपुरा का निवासी है तथा प्रार्थी वर्षो से तथाकथित वाली आराजी संख्या 485/311 के भाग पर काबिज होकर बाडे के रूप भुमि का उपयोग करता आ रहा है तथा विपक्षी संख्या 01 कदापि उक्त भूमि पर काबिज नही रहा है और विपक्षी संख्या 01 आर्थिक रूप से सक्षम होकर विपक्षी संख्या 01 के आबादी भूमि में मकान होकर निवासरत है, तथा कानुनन तथाकथित निःशुल्क पट्टा विपक्षी संख्या 01 को जारी नही किया जा सकता है। पंचायत राज अधिनियम 1996 नियम 157 (1) के अधिन पुश्तैनी मकानों के पट्टे जारी करने का प्रावधान है, विपक्षी संख्या 01 के पुश्तैनी मकान होकर निवासरत है। ऐसी स्थिति में पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत पात्रता नही रखने एंव आपत्ति आवह्यान पत्र मयाद 01 माह की पूर्ति नही करने तथा आपत्ति आवह्यान चस्पादगी नही कर मौतबीरों के हस्ताक्षर नही कराने से भी उक्त तथाकथित निःशुल्क पट्टा निरस्त योग्य है। यह कि आज्ञाओ की सूचि में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिंनाक 29.08.2023 को कमेठी का गठन नियम 146 के तहत कर 30 दिवस में रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया गया। जिसकी पालना नही कर दिंनाक 03.09.2023 को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो की उपस्थिति में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस की एक प्रति आवेदित स्थल पर चस्पा करने की पालना भी नही करने तथा दोनों आदेशिकाओं पर सरपंच के अलावा किसी भी वार्डपंच के हस्ताक्षर नही होने

से सारी कार्यवाही विधि सम्मत नही होने से एंव दिनांक 26.09.2023 तथाकथित निःशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय गलत होकर अवैध होने से तथाकथित पट्टा निरस्त योग्य है। यह कि बिना पात्रता अवैध रूप से निःशुल्क पट्टा जारी कर पंचायत राज विभाग एंव राज्य सरकार को राजस्व की हानि की है। यह कि तथाकथित पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत पीपली अहीरान से जारी होने वाद–हेतुक उत्पन्न होने एंव उक्त निगरानी का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार आपको अभिप्रेत है। अन्य उज्रात वक्त बहस निवेदन किये जायेगे।

अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत पीपली अहीरान द्वारा जारी पट्टा संख्या 3132 दिनांक 26.09.2023 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश फरमाया जावे। कि अन्य कोई वाद जो आप न्यायालय निगरानीकार के पक्ष मे उचित समझे वह भी दिलाई जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 कि और से अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 कि और से जरिये अधिवक्ता निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य का संक्षिप्त में जवाब प्रस्तुत किया। कि ग्राम पंचायत पीपली अहीरान के द्वारा नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार ग्राम पंचायत पीपली अहीरान के ग्राम प्रेमपुरा तहसील कुंवारिया के खसरा नम्बर 485/311 पर निर्धारित विधिक प्रक्रिया अनुसार आवासीय भुमि पर प्रारूप तैयार नियमानुसार आवासीय का कमजोर वर्गो को पंचायत राज अधिनियम 1996 नियम 158 में दिये निर्देशो कि पालना करते हुए, प्राप्त आवेदन पर पंचायत के कोरम में लिए गए निर्णय अनुसार निःशुल्क पट्टा गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 01 को जारी किया गया है। जो विधि सम्मत है। निगराकार द्वारा मनगढत तथ्य वर्णित कर उक्त निगरानी प्रस्तुत कि गयी है, जो निराधार होकर विधि विरूद्ध है। यह कि कलम संख्या 01 अस्वीकार है के जवाब में निवेदन है कि गैर निगराकार /विपक्षी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया निष्पाादित कि गयी है। यह कि कलम संख्या 02 अस्वीकार है के जवाब में निवेदन है, कि निगराकार/प्रार्थी स्वंय वर्णित तथ्य साबित करावे। यह कि कलम संख्या 03 अस्वीकार है के जवाब में निवेदन है कि निगराकार/प्रार्थी द्वारा मनगंढत व मिथ्या तथ्य वर्णित किये गये है। यह कि कलम संख्या 04 अस्वीकार है के जवाब में निवेदन है कि निगराकार/प्रार्थी द्वारा ठोस दस्तावेजो से वर्णित तथ्य साबित करावे। यह कि कलम संख्या 05 माननीय न्यायालय से संबधित है। यह कि कलम संख्या 06 कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है। यह कि कलम संख्या 07 अस्वीकार है निगरानी विधि द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्रस्तुत नही है। यह कि कलम संख्या 08 अस्वीकार है के जवाब में निवेदन है कि निगराकार के अतिरिक्त अन्य उजरात वक्त बहस विधि अनुसार निवेदन नही किये जा सकते है।

अतः निवेदन है कि निगराकार/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस, सुनी गयी। निगरानी पक्ष के अधिवक्ता ने निगरानी मे दर्ज तथ्यो को दोहराया गया। कि उक्त तथाकथित पट्टे की पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा जांच करवायी गई कि जांच में ग्राम पंचायत पिपली अहीरान द्वारा जारी पट्टा गलत माना और पंचायती राज अधिनियम 1996 की पालना नही करना पाया। प्रार्थी ग्राम प्रेमपुरा का निवासी है तथा प्रार्थी वर्षो से तथाकथित वाली आराजी संख्या 485/311 के भाग पर काबिज होकर बाडे के रूप भुमि का उपयोग करता आ रहा है तथा विपक्षी संख्या 01 कदापि उक्त भूमि पर काबिज नही रहा है और विपक्षी संख्या 01 आर्थिक रूप से सक्षम होकर विपक्षी संख्या 01 के आबादी भूमि में मकान होकर निवासरत है, तथा कानुनन तथाकथित निःशुल्क पट्टा विपक्षी संख्या 01 को जारी नही किया जा सकता है। पंचायत राज अधिनियम 1996 नियम 157 (1) के अधिन पुश्तैनी मकानों के पट्टे जारी करने का प्रावधान है, विपक्षी संख्या 01 के पुश्तैनी मकान होकर निवासरत है। ऐसी स्थिति में पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत पात्रता नही रखने एंव आपत्ति आवह्ान पत्र मयाद 01 माह की पूर्ति नही करने तथा आपत्ति आवह्ान चस्पादगी नही कर मौतबीरों के हस्ताक्षर नही कराने से भी उक्त तथाकथित निःशुल्क पट्टा निरस्त योग्य है। यह कि आज्ञाओ की सूचि में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिंनाक 29.08.2023 को कमेठी का गठन नियम 146 के तहत कर 30 दिवस में रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया गया। जिसकी पालना नही कर दिंनाक 08.09.2023 को दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो की उपस्थिति में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस की एक प्रति आवेदित स्थल पर चस्पा करने की पालना भी नही करने तथा दोनों आदेशिकाओं पर सरपंच के अलावा किसी भी वार्डपंच के हस्ताक्षर नही होने से सारी कार्यवाही विधि सम्मत नही होने से एंव दिनांक 26.09.2023 तथाकथित निःशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय गलत होकर अवैध होने से तथाकथित पट्टा निरस्त योग्य है। यह कि बिना पात्रता अवैध रूप से निःशुल्क पट्टा जारी कर पंचायत राज विभाग एंव राज्य सरकार को रेवेन्यु की हानि की है। यह कि तथाकथित पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत पीपली अहीरान से जारी होने वाद–हेतुक उत्पन्न होने एंव उक्त निगरानी का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार आपको अभिप्रेत है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत पीपली अहीरान द्वारा जारी पट्टा संख्या 3132 दिनांक 26.09.2023 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

गैरनिगराकार पक्ष के अधिवक्ता ने दोराने बहस जवाब मे दर्ज तथ्यों को दोहराया गया। कि ग्राम पंचायत पीपली अहीरान के द्वारा नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार ग्राम पंचायत पीपली अहीरान के ग्राम प्रेमपुरा तहसील कुंवारिया के खसरा नम्बर 485/311 पर निर्धारित विधिक प्रक्रिया अनुसार आवासीय भुमि पर प्रारूप तैयार नियमानुसार

आवासीय का कमजोर वर्गो को पंचायत राज अधिनियम 1996 धारा 158 में दिये निर्देशो कि पालना करते हुए, प्राप्त आवेदन पर पंचायत के कोरम में लिए गए निर्णय अनुसार निःशुल्क पट्टा गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 01 को जारी किया गया है। जो विधि विधि सम्मत है। निगराकार द्वारा मनगंढत तथ्य वर्णित कर उक्त निगरानी प्रस्तुत कि गयी है, जो निराधार होकर विधि विरूद्व है। गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार प्रकिया निष्पादित कि गयी है, निगराकार/प्रार्थी स्वय अपने कब्जे के सम्बंध में वर्णित तथ्य साबित करावे। कि निगराकार/प्रार्थी द्वारा मनगंढत व मिथ्या तथ्य वर्णित किये गये है, निवेदन है कि निगराकार /प्रार्थी द्वारा ठोस दस्तावेजो से वर्णित तथ्य साबित करावे। माननीय न्यायालय से संबधित है। कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है। यह कि निगरानी विधि द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्रस्तुत नही है, अतः निवेदन है कि निगराकार/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, बहस, के अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति रेलमगरा की जांच रिपोर्ट की प्रति अनुसार, ग्राम पंचायत पिपली अहिरान की पत्रावली संख्या 03 दायर दिनांक 29.08.2023 गैरनिराकार संख्या 01 को जारी प्रारूप 23 'ग' नियम 158 के तहत पट्टा संख्या 3132 जारी दिनांक 26.09.2023 के आवेदन पत्र में निःशुल्क आवंटन पात्रता सम्बधित दस्तावेज संलग्न नही है, आवंटिती द्वारा शपथ पत्र दिनांक 24.09. 2023 नोटेरी प्रमाणित पत्रावली में शामिल है, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट वार्डपंच देवीलाल भील, देवीलाल अहिर रोशनलाल प्रजापत के द्वारा किया जाकर स्थल निरिक्षण रिपोर्ट पर दिनांक अंकित नहीं है। पत्रावली में मौका पर्चा प्लॉट संख्या 04 का दिनांक 31.08.2023 का वार्डपंच देवीलाल भील, देवीलाल अहिर रोशनलाल प्रजापत के हस्ताक्षरित भामिल है। आपत्ति आह्वान दिनांक 08.09.2023 को 07 दिवस की अवधि का जारी होकर शामिल फाईल है, आपत्ति आह्वान चस्पा के प्रमाण स्वरूप दो मोतबिरान के हस्ताक्षर नही पाये गये। जबकि आपत्ति आह्वान पत्र 01 माह की अवधि का जारी किया जाना था। दिनाक 26.09.2023 को ग्राम पंचायत की बैठक में निःशुल्क भूमि आंवटन का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया, निर्णय पर सरपंच गंगाबाई अहिर एंव वार्डपंच देवीलाल भील, देवीलाल अहिर एंव जसवंत मेघवाल, पुष्पा एंव रोशन के हस्ताक्षरित है। पत्रावली में आंवटिती के पात्रता के सम्बन्ध में केवल आधार कार्ड संलग्न है। पत्रावली अनुसार आंवटिती से ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली गयी। पत्रावली में पटवारी सुनिल कुमार मीणा के हस्ताक्षरित ग्राम पंचायत पिपली अहिरान ग्राम प्रेमपुरा के खसरा संख्या 485/311 का नजरी नक्शा जिसमे कुल 15 प्लॉट का प्लान है, व किस्म आबादी भूमि का प्रमाण पत्र दिनांक 08.09.2023 संलग्न है। गैरनिराकार संख्या 01 को जारी निःशुल्क पट्टा सम्बन्धित उपलब्ध कराई गई, पत्रावली अनुसार आपत्ति आह्वान पत्र मयाद 01 माह की जगह 07 दिवस जारी किया गया एव पंचायत राज अधिनियम

1996 नियम 158 (2) के अनुसार चयनित परिवार धुमक्कड/भेड पालक को जिनके पास स्वंय का गृह स्थल/गृह नही है को निःशुल्क पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पात्रता का ध्यान नही रखकर पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमो की पालना नही की गई। ग्राम पंचायत पिपली अहिरान द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1996 नियम 158 (2) के अनुसार चयनित परिवार के तहत पात्रता नही रखने एंव आपत्ति आवह्रान पत्र मयाद 01 माह की पूर्ति नही करने तथा आपत्ति आवह्रान चस्पादगी पर (02) मौतबीरों के हस्ताक्षर नही कराने से भी उक्त तथाकथित निःशुल्क पट्टा बिना पात्रता अवैध रूप से निःशुल्क पट्टा जारी कर पंचायती राज विभाग एंव राज्य सरकार के आदेश की पालना नही की जाने से खारीज योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एंव बहस के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

30/01/26

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द